# एफएसएनएल

## सत्यनिष्ठा अनुबंध (आई पी)

सत्यनिष्ठा अनुबंध अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता (टी आई), एक अन्तर्राष्ट्रीय एन जी ओ, द्वारा विकासित एक ऐसा साधन है जिसका लक्ष्य है सार्वजनिक संविदा में भ्रष्टाचार को रोकना । सत्यनिष्ठा अनुबंध सार्वजनिक संविदा के लिए संस्थान एवं बोलीकर्ता (bidder) के बीच एक समझौता है, जो दोनों पक्षो को नैतिक कार्य– व्यवहार के लिए बाध्य करता है। इसमें अधिकार एवं दायित्व दोनों होते हैं जिससे दोनों पक्ष अपने कार्य – व्यवहार में पारदर्शी होंगे, कोई भी पक्ष न रिश्वत देगा ,न रिश्वत का प्रस्ताव देगा, न रिश्वत देगा, न रिश्वत की माँग करेगा, न रिश्वत स्वीकार करेगा और न ही ठेका प्राप्त करने के लिए बोलीकर्ता अपने प्रतिस्पर्धियों से साँठ– गाँठ करेगा, इत्यादि।

इस सत्यनिष्ठा अनुबंध को अपनाने में एफएसएनएल अग्रणियों में से एक था। वर्तमान में 20 लाख रूपये ऊपर के मूल्यवाले सभी खरीददारों और ठेकेदारों अनुबंधों का एक अभिन्न अंग है।

सत्यनिष्ठा अनुबंध के मोनिटरिंग के लिए एफएसएनएल ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अनुमोदन से निम्नलिखित व्यक्ति को स्वतंत्र बाहय मॉनिटर (आईईएम) के रूप में नियुक्त किया है।

**क. श्री संजीव शर्मा पूर्व निदेशक वित्त, मंझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड**

**ख. श्री वेदप्रकाश यजुर्वेदि, इंडियन आर्डनेंस फैक्टरी सर्विस (सेवा निवृत्त)**

सभी निविदा जहाँ सत्यनिष्ठा अनुबंध शामिल है, हमारी वेबसाइट (www.fsnl.co.in) में उपलब्ध सत्यनिष्ठा अनुबंध संधि द्वारा शामिल होती है। 20 लाख रूपये से अधिक की मूल्य के निविदाओं के लिए संपन्न निविदाकार को सत्यनिष्ठा अनुबंध प्रपत्र डाउनलोड करना होता है और इसे विधिवत हस्ताक्षरित कर एफएसएनएल को अग्रेषित किया जाना है।

बोलीकर्ताओं को, यदि कोई शिकायत हो, तो वे निविदा से संबंधित सक्षम प्राधिकारी/ प्रचालन अधिकारी, एफएसएनएल के मुख्य सतर्कता अधिकारी अथवा सत्यनिष्ठा अनुबंध के आईईएम से संपर्क कर सकते है। सत्यनिष्ठा अनुबंध के लिए सतर्कता विभाग ,एफएसएनएल भवन, इक्विपमेंट चौक, सेंट्रल एवेन्यू, पोस्ट बॉक्स नं. 37, भिलाई, जिला– दुर्ग, पिन कोड– 490 001, छत्तीसगढ, से संपर्क किया जा सकता है। (सत्यनिष्ठा अनुबंध प्रपत्र एफएसएनएल के वेबसाइट पर उपलब्ध है।)